पेज थ्री देहरादून

देहरादून शनिवार 25 अप्रैल 2020 पेज 8

चेकिंग इंतजामों का जायजा लेते हुए एसपी सिटी।

हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता

संवाददाता देहरादून। कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के चलते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता न देने का ऐलान किया है। सरकार ने जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सचिव अमित नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया है।

उत्तराखंड में बढ़ेगा जांच का दायरा, दून मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी आएगी। दून मेडिकल कॉलेज को भी जांच की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ हल्द्वानी मेडिकल कालेज और एम्स ऋषिकेश में ही कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही थी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अबतक कोरोना वायरस के 47 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें 24 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दून मेडिकल कॉलेज को भी कोरोना संक्रमण जांच की मंजूरी मिल गई है, जिससे अब हर दिन ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच हो पाएगी।

प्रीतम सिंह ने राहत व बचाव कार्यों का किया निरीक्षण

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा धर्मपुर के अंतर्गत तिलक बाजार रोड, सुभाष नगर, क्लेमेंटटाउन, दून स्थित वार्ड 78 के पार्षद रमेश कुमार मंगू के कार्यालय से कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के खिलाफ किये जा रहे राहत व बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के इस संकट के दौर में आज प्रदेश सरकार कहीं कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है।

पत्रकारों को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा दिए जाने पर हर्ष

संवाददाता देहरादून। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन ने हरियाणा व प. बंगाल सरकार द्वारा पत्रकारों को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है तथा इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों मनोहर लाल खट्टर व ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। यहां जारी एक बयान में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरिन्दर सिंह ने बताया कि लंबे समय से पत्रकारों को जीवन बीमा दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। फेडरेशन द्वारा सभी प्रदेशों की सरकारों को पत्र लिखकर शीघ्र जीवन बीमा व आवश्यक सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई थी।

डीएम की कार्यवाही से दुल्हन को मिला दूल्हे के घर जाने का ई-पास'

संवाददाता देहरादून। देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा तत्वरित कार्यवाही से देहरादून निवासी दुल्हन को शादी के बाद दूल्हे के साथ नई टिहरी जाने का आखिरकार ई–पास जारी हो गया है जिसके बाद दुल्हन आगामी 26 अप्रैल को अपनी शादी के बाद अपने पति संग अपने नए घर जा सकेगी। दुल्हन पक्ष ने डीएम देहरादून का धन्यवाद किया है। आपको बता दे की स्थानीय समाचार पत्र के 21 अप्रैल के अंक के प्रथम पन्ने में 'कोरोना ने लगाया मिलान पर ब्रेक' नाम से देहरादून निवासी आरती(काल्पनिक नाम) का नई टिहरी निवासी योगेश(काल्पनिक नाम) के साथ विवाह के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इमरजेंसी ई–पास के जरिये आवेदन करने पर बार बार निरस्त किये जाने की खबर मुख्यता से प्रकाशित की गयी थी। जिसको लेकर पत्रकार द्वारा इस बाबत डीएम देहरादून से आज बात कर दुल्हन व उसके परिवार की वेदना बताई गयी। जिसपर डीएम आशीष कुमार द्वारा मामले को तत्परता से जांचते हुए एसडीएम डोईवाला को दुल्हन को जल्द से जल्द 26 अप्रैल का ई–पास जारी करने के आदेश दिए गए। जिसके बाद आज एसडीएम कार्यालय डोईवाला द्वारा तुरंत संज्ञान से दुल्हन को दूल्हे के घर जाने के लिए ई–पास जारी हो गया है। दुल्हन पक्ष द्वारा डीएम को धन्यवाद दिया गया है।

6 माह और 3 साल के बच्चे को बनाया मुलजिम

कारनामा

संवाददाता

बच्चों के क्वारंटाइन तोड़ने पर मुकदमा करने वाला मजिस्ट्रेट निलंबित

लॉक डाउन में पंचकुला से यह परिवार दो बच्चों के संग लौटा था चिन्यालीसौड़

उत्तरकाशी। होम क्वारंटाइन के उल्लंघन के आरोप में राजस्व पुलिस ने छह माह के बच्चे और तीन साल की एक बच्ची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें मुलजिम बना दिया। इस मामले से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस मामले में संबंधित क्षेत्र के कोविड–19 मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया है। उत्तरकाशी जिले का यह मामला मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला है। जुवेनाइल एक्ट के तहत आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है।

लॉकडाउन होने के दौरान चिन्यालीसौड़ राजस्व क्षेत्र के एक गांव में पंचकुला (हरियाणा) से एक परिवार अपने दो बच्चों के साथ गांव पहुंचा। इस परिवार को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए थे।

आरोप है कि परिवार ने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान के आदेश पर कलक्ट्रेट ओसी चतर सिंह चौहन ने चिन्यालीसौड़ तहसील क्षेत्र में होम क्वारंटाइन का पालन न करने वाले 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसमें चार लोग थाना धरासू क्षेत्र के थे, जिनके खिलाफ रेगुलर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इनके अलावा 47 लोग राजस्व क्षेत्र के थे। इसी 47 लोगों की सूची में छह माह का एक बच्चा और एक तीन साल की बच्ची का नाम और उनके माता पिता का नाम भी शामिल था। राजस्व पुलिस के पास जैसे ही सूची पहुंची। राजस्व पुलिस होम क्वारंटाइन का पालन न करने और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

इन दोनों बच्चों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो क्षेत्र के लोगों ने इस पर कड़ी अपत्ति जतायी। मामले की भनक प्रशासन को लगी तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएम डा.आशीष चौहान ने कहा, ष्जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 8 साल से कम उम्र के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्र के कोविड–19 मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित किया। गिरीश सिंह राणा सिंचाई खंड उत्तरकाशी में सहायक अभियंता के पद पर तैनात हैं।

जुवेनाइल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती

'जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर जुवेनाइल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मामले पर संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही पुलिस दे रही प्राथमिकता

लॉकडाउन

■ चालान व सीज जैसे कड़े कदम भी उठाये जा रहे

देहरादून। **संवाददाता**

राजधानी में लगातार पुलिस सुरक्षा के लिहाज से सड़कों पर नजर बनाये हुए है। पुलिस टीम द्वारा सभी बैरिकेडिंग व पिकेटों पर सभी वाहनो की चेकिंग की जा रही है व जरूरी होने पर उनके खिलाफ चालान व सीज जैसे कड़े कदम भी उठाये जा रहे है। शहर में कोरोना काल के दौर में भी लोगों द्वारा 'चौपहिया वाहनों में घरों से बाहर निकलने को लेकर प्रशासन पर लगातार दबाव बना हुआ है जिसको चलते कई पुलिस अधिकारियो को खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए देखा जा रहा है।' 'सीओ राजपुर व डालनवाला विवेक कुमार द्वारा लॉकडाउन 1 से ही लगातार पुलिस कर्मियों के साथ स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आज भी उनके द्वारा डालनवाला राजपुर क्षेत्र अंतर्गत मार्गों पर पुलिस टीम को अलग अलग नाकों पर सख्त चेकिंग की हिदायत' दी। उनके द्वारा खुद आराघर चौराहे पर सीपीयू व अन्य पुलिस कर्मियों को सड़क के दोनो और तैनात किया गया है व किसी भी गैर जरूरी वाहन को न गुजरने देने की सख्त हिदायत दी है। इस दौरान 'उन्होंने कहा कि उनकी पुलिस टीम द्वारा बैरिकेडिंग से गुजरने वाले हर वाहन को गहनता से चेक किया जा रहा है। ज्यादातर वाहनों में उनको मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े मरीज मिले है जिनमे कई को कमर दर्द, कोई पुरानी बीमारी है या गर्भवती है। पुलिस द्वारा इन सभी के मेडिकल पर्चा देख कर पूरी तस्दीक की जा रही है।'

उन्होंने चालना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा चेकिंग के दौरान किसी भी 'गैर जरूरी वाहनों की पहचान होने पर सीपीयू टीम द्वारा गाड़ियों के चालान व गाड़ियां सीज' की जा रही है। ज्ञात हो कि उत्तराखंड में पुलिस द्वारा अभी तक 21 हजार से ज्यादा वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान किया है व 4899 को सीज किया जा चुका है। इन सभी से पुलिस ने अभी तक 1 करोड़ से अधिक की धनराशि वसूल की है।

एसपी सिटी ने चेकिंग इंतजामों का लिया जायजा

संवाददाता देहरादून। दून में कोरोना काल में भी ट्रैफिक का दबाव यथावत बना हुआ। शहर में अभी भी सुबह के वक्त कई वाहन भारी संख्या में सड़कों में निकल रहे जी जिनपर पुलिस लगाम लगाने के भरशक प्रयास कर रही है। 'एसपी सिटी श्वेता चौबे द्वारा लगातार शहर की हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ जहां उनके द्वारा ट्रैफिक व अनावश्यक सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है वहीं उनके द्वारा पुलिस द्वारा आम जनता को मुहैय्या करवाई जाने वाली सुविधाओं का भी निरक्षण कर रही है।' शुक्रवार को एसपी सिटी द्वारा डालनवाला क्षेत्र अंतर्गत आराघर चौक पर तैनाती दे रहे पुलिस कर्मी व सीपीयू कर्मियों के साथ स्थिति का जायजा लिया गया। उनके द्वारा बैरिकेडिंग पर से गुजरने वाले वाहनों के कागज जांचने के बाद ही उन्हें आगे जाने के कड़े निर्देश दिए'।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at http://app.page3news.co.in

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets

All Android Touch Phones & Tablets

All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

Scan This Code

Read News

Watch News Channel

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक प्रदीप चौधरी द्वारा एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः शिवम् मार्केट, द्वितीय तल दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०- 0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0 UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।